न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
53/2017/प्रा.पत्र/2017

तारीख दायरा 06.07.2017

तारीख निर्णय 07.06.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुरेश लक्षकार पुत्र गोपाल लाल लक्षकार विक्रेता/प्रबंधक मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2–श्री रमेश लक्षकार पुत्र गोपाल लाल लक्षकार प्रोपराइटर मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3– मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
4–श्री नौरत मल जैन पुत्र शान्तिलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल आईस एण्ड जीनिंग चौसला कॉलोनी देवली रोड सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी 755 सदर बाजार सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0
5– मैसर्स अग्रवाल आईस एण्ड जीनिंग चौसला कॉलोनी देवली रोड सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 07.06.2019

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 09.05.2017 को समय सांय 11.42 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से सुरेश लक्षकार पुत्र गोपाल लाल लक्षकार विक्रेता/प्रबंधक मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर श्री रमेश लक्षकार को होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** जिसके बैच नं. एबी/044 एंव पैकिग दिनांक 01.04.2017 थे, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सुरेश लक्षकार को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सुरेश लक्षकार एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** अलग–अलग 4 पेपर कार्टून प्रत्ये कमे सील पैक 01–01 लीटर की 12–12 प्लास्टिक सील पैक बोतल मे से 16 मूल सील पैक बोतल 1–1 लीटर का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(31)

ji Original Pack) वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सुरेश लक्षकार को रू0 96/–अक्षरे छियानवे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** 1–1 लीटर की 4–4 सील पैक बोतलो के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1629 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1629 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सुरेश लक्षकार के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री सुरेश लक्षकार ने मौके पर पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** का वारन्टी बिल मांगने पर मौके पर कोई बिल प्रस्तुत नही किया गया बाद मे कार्यालय मे व्यक्तिशः उपस्थित होकर बतोर वारन्टी मैसर्स अग्रवाल आईस एण्ड जीनिंग चौसला कॉलोनी देवली रोड सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0 का खरीद बिल क्रमांक 54 दिनांक 07.05.2017 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उक्त खाध पदार्थ पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.औ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/2239 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1087/एक्ट/2017/1152 दिनांक 24.05.2017 के अनुसार सुरेश लक्षकार से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा स्तर का पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) **(zf) (c) (i)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर श्री जी मूल पैक **(Packaged Drinking Water श्री ji Original Pack)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी श्री सुरेश लक्षकार पुत्र गोपाल लाल लक्षकार विक्रेता/प्रबंधक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0 पर शास्ती 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री रमेश लक्षकार पुत्र गोपाल लाल लक्षकार प्रोपराइटर मैसर्स केदारेश्वर रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड झिराना तहसील पीपलू जिला टोंक राज0पर शास्ति 5,000/- (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री नौरत मल जैन पुत्र शान्तिलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स अग्रवाल आईस एण्ड जीनिंग चौसला कॉलोनी देवली रोड सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी 755 सदर बाजार सावर तहसील केकडी जिला अजमेर राज0 पर शास्ति 10,000/- (अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.06.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Scanned by CamScanner